आर टी आई स्पीड पोस्ट
अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

सत्यमेव जयते

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/56/2013-14

31 जनवरी, 2013

सेवा में,
श्री जिले सिंह
दिल्ली पुलिस
ए. सी. पी. एवं सी.पी.आई.ओ.
पुलिस स्टेशन
कमला मार्केट,
दिल्ली।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

श्री धर्मपाल पुत्र श्री रामप्रसाद पूर्व दिल्ली पुलिस, 35 एन/703 डी ए पी सिपाही निवासी 201/220 कबीरा आर्ट, अशोक नगर, पिलखुआ पंचशील नगर, उत्तर प्रदेश का पत्र दिनांक 31 जनवरी 2013 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने दस रुपए का पो.आ. संख्या 14एफ 442864 संलग्न कर अपने दिनांक 19 मार्च 2012 के पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है जो कि इस कार्यालय से दिनांक 30 मार्च 2012 को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में अग्रसारित किया गया था। अतः इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया आवेदन पर उचित कार्यवाही कर कृत कार्यवाही की सूचना आवेदक तथा अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करें।

यदि यह विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-
श्री धर्मपाल पुत्र श्री रामप्रसाद पूर्व दिल्ली पुलिस, 35 एन/703 डी ए पी सिपाही निवासी 201/220 कबीरा आर्ट, अशोक नगर, पिलखुआ पंचशील नगर, उत्तर प्रदेश
-कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त सी पी आई ओ से संपर्क करें।

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

आर.टी. आई. एक्ट – 5– 2005 के अनुसार
P.O. 14F-4428

Secretariat New Delhi

दिनांक: 21.01.2013

प्रार्थना पत्र-11वां
व सत्य बयान

सेवा में
मान्नीय श्रीमान उप राष्ट्रपति महोदय जी
उपराष्ट्रपति भवन भारत सरकार
6- मौलाना आजाद रोड
नई दिल्ली।
......

विषय: दिनांक 1.10.1974 के बाद प्रार्थी ने कई बार अपील की थी लेकिन किसी अधिकारी ने कोई सुनवाई नहीं की थी, अन्त में आर0टी0आई0एक्ट-5-2005- एक्ट का सहारा लेना पड़ा तो भी असन्तोषजनक उत्तर मिला के सन्दर्भ में 11वी अर्जी।

मान्यवर जी निवेदन है कि प्रार्थी ने 19.10.1974 के बाद कितनी बार अपील व प्रार्थना पत्र दिये थे उनकी कुछ अपील प्रार्थना पत्र की फोटो कॉपी द्वारा आपके पास रिर्काड बाय पॉस्ट भेज रहा हूँ। और अन्त में प्रार्थी अपने बुढ़ापे व भविष्य में जीवन निर्वाह करने के लिए 11वां प्रार्थना पत्र लिखकर प्रार्थना पूर्वक सत्य व नमर्ता पूर्वक से निवेदन करता हूँ।

पुराणो वेदो, रामायण व, गीता व, सत्य ग्रंथों की कसम खाते हुये दिल्ली पुलिस के जवान से बुढ़ापे तक सत्य बयान करता है।

1. सत्य यह है कि प्रार्थी अब 30 दिन के अन्दर ही आपके द्वारा दिये गए पत्र संख्या 42-72 आर0टी0आई0सैल (आई0डी0 372/12)/प्रथम वाहिणी दिल्ली दिनांक 31.12.2012 के अनुसार आपके उपरोक्त पत्र का जवाब दे रहा हूँ। वह प्रार्थना कर रहा हूँ। सत्य यह है कि आपके उपरोक्त पत्र के द्वारा प्रार्थी अब जवान से बूढ़ा हो गया है। प्रार्थी की आर्थिक परिस्थिति खराब है। बूढ़ापे का सहारा व दवाईयाँ व आर्थिक सहायता देने की कृपा करे। प्रार्थी एक पुत्री कु0 रेखा कबीरा है। आपके उपरोक्त पत्र के द्वारा अपील करते हुए प्रार्थी की पुत्री को दिल्ली पुलिस ने किसी भी पद पर सिपाही, प्रधान सिपाही, ए0एस0आई0, एस0आई या ऑफिस में क्लर्क आदि पद के रूप में भर्ती करने की कृपा करे। प्रार्थी की पुत्री कु0 रेखा कबीरा पोस्ट ग्रेजुवेट बी0एड0, एन0टी0टी0, पेन्टिंग, टीचिंग, कम्प्यूटर आदि का काम अच्छी प्रकार जानती है। कृपया मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जायेगी। आज के समय में लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है। अपने बूढ़े माँ-बापों की सेवा लड़की भी कर सकती है। प्रार्थी की पुत्री दिल्ली पुलिस में सिपाही पद के लिए फिजीकल व लिखित टैस्ट, मैडिकल, साइक्लोजी टैस्ट, भी पास है। रिकार्ड आपके पास भी है और प्रार्थी के पास भी है, फोटो कापी भेज रहा हूँ। प्रार्थी की पुत्री कु0 रेखा की शादी नौकरी लगने के बाद कर दी जायेगी। जो कि प्रार्थी का बूढ़ापे का सहारा मरणों उपरान्त भविष्य तक बन सकती हैं। प्रार्थी का बुढ़ापा भविष्य जीवन व्यतीत करने का आपको उपरोक्त तरीका अपील द्वारा बता दिया गया है। आप जैसा निर्णय देंगे तो संतोषजनक ही निर्णय देने की कृपा करें।

धन्यवाद।

नोटः
1. प्रार्थी बूढ़ा सिपाही होने के कारण आपसे उपरोक्त अपील कर रहा है।
2. प्रार्थी भी कभी 17.08.1970 को जवान भर्ती किया गया था।
3. प्रार्थी भारतीय नागरीक है अब बूढ़ा हो गया है।
4. आप उपरोक्त अपील में सन्तोषजनक उत्तर देने कृपा करे जिससे दिल्ली पुलिस केअधिकारियोंव कर्मचारियों का भारत मान सम्मान करेगा।

धन्यवाद।

नोट 1- 11) प्रार्थना पत्र अपील का जवाब दिल्ली ... को तो अभी जवाब देते नहीं ...
(2) आर. टी. आई. एक्ट-5-2005 के अनुसार P.O. No-14F- 442864 -

प्रार्थी

धर्मपाल पुत्र श्री राम प्रसाद
पूर्व दिल्ली पुलिस 35एन0/703डी0ए0पी0
सिपाही पेन्टर आर्टिस्ट व ए0डब्ल्यू0टी0 टैन्ड
व 6 भाषायें जानने वाला दिल्ली पुलिस का सिपाही
निवासी-201/220 कबीरा आर्ट कबीर वाली गली
अशोक नगर पिलखुवा (हापुड़) उ0प्र0
मो0: 09253260306

To. Police Commissioner
Police Commissioner
Delhi. Police
Police Head office